

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मनदीप यादव उर्फ मंजीत यादव उर्फ मटला

बनाम

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, अपने पुलिस अधीक्षक, बिहार के माध्यम से

2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1048

12 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

अपीलार्थी ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 21 (4) (इसके बाद 'एन. आई. ए. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत आर. सी. संख्या 25/2022 से उत्पन्न 2022 के विशेष एन. आई. ए. मामले संख्या 06 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने अपीलार्थी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

हेडनोट्स

अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के अंतर्गत वर्तमान अपील, विशेष एनआईए मामला संख्या 06/2022, जो आर.सी. संख्या 25/2022 से उत्पन्न हुआ था, के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना द्वारा पारित दिनांक 09.08.2024 के आदेश के विरुद्ध दायर की है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना ने अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

विशेष न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआर.पी.सी.) की धारा 306(4)(बी) का हवाला देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके अनुसार क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति को मुकदमा समाप्त होने तक हिरासत में रहना होगा, जब तक कि वे क्षमादान से पहले जमानत पर न हों।

अपीलकर्ता से निचली अदालत में गवाह अ.सा.1 के रूप में पूछताछ और जिरह की गई। - अपनी गवाही के बाद, अपीलकर्ता ने जमानत याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि

चूँकि अदालत ने उसे क्षमादान दे दिया है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जिससे वह अभियुक्त नहीं रह जाता और अभियोजन पक्ष का गवाह बन जाता है। - अपीलकर्ता का तर्क है कि क्षमादान दिए जाने के बाद, उसे अब अभियुक्त नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, वह जमानत का हकदार है, मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। - अपीलकर्ता ने इस तर्क पर भरोसा किया है **सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और 1995 के **सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 80** में रिपोर्ट किए गए अनुरूप मामलों पर। इसके अलावा अपीलकर्ता ने इसी तरह के मामले में **आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 563/2017 (संजय कुमार @ संजय साह @ संजय बरनवाल बनाम भारत संघ (एन.आई.ए.)** में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 06.09.2017 के आदेश पर भरोसा रखा। और **आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 494/2019 (असिकुल इस्लाम बनाम भारत संघ (एन.आई.ए.)** में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 26.07.2019 के फैसले पर भरोसा रखा। एन.आई.ए. ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका का समर्थन किया और जाँच व मुकदमे के दौरान उसके सहयोग की सराहना की। एन.आई.ए. ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 306(4)(बी) के प्रावधानों के तहत मुकदमे की समाप्ति तक अनुमोदक को हिरासत में रखना जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

निर्णय दिया गया:

सीआर.पी.सी. की धारा 306(4)(बी) के अनुसार, किसी अनुमोदक को मुकदमा समाप्त होने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए, जब तक कि वे क्षमादान दिए जाने से पहले जमानत पर न हों।

जबकि वैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक नीति को बनाए रखना है, व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी विचार किया जाना चाहिए, खासकर जब उनका सहयोग न्याय के हितों की पूर्ति करता हो। सुरेश चंद्र बाहरी के मामले में, यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि किसी अनुमोदक को जमानत पर रिहा करना, हालांकि संभावित रूप से अवैध है, वैध रूप से दी गई क्षमादान को अमान्य नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अनुमोदक को सुपुर्दगी दंडाधिकारी या विचारण न्यायाधीश द्वारा कोई जमानत नहीं दी गई थी, फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा उसकी रिहाई किसी भी तरह से अनुमोदक को दी गई क्षमा की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। "यद्यपि संहिता की धारा 306(4)(बी) के तहत अनुमोदक को जमानत

पर रिहा करने पर रोक है, यदि वह पहले से ही हिरासत में है, तो मुकदमे की समाप्ति तक, उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके जमानत पर रिहा कर सकता है। हालाँकि, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तब किया जा सकता है जब ऐसा अनुमोदक, जिसे संबंधित न्यायालय ने क्षमादान दिया हो और उक्त अभियुक्त की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की गई हो, जिसके दौरान उसने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया हो, और ऐसी स्थिति में, अनुमोदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।"

वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। उपर्युक्त अपीलकर्ता को आर.सी. संख्या 25/2022 से उत्पन्न विशेष एन.आई.ए. मामला संख्या 06/2022 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना की संतुष्टि के लिए 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये) का बांड निष्पादित करने और समान राशि के दो जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

अपीलकर्ता को अपील के निपटारे तक इस न्यायालय में सहयोग करना चाहिए। अपील के निपटारे तक, जुर्माने की वसूली स्थगित रखी जाती है।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

न्याय दृष्टान्त

सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य, 1995 पूरक (1) एससीसी 80; आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 563/2017 (संजय कुमार @ संजय साह @ संजय बरनवाल बनाम भारत संघ (एनआईए)); आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 494/2019 (असिकुल इस्लाम बनाम भारत संघ (एनआईए))।

अधिनियमों की सूची

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4)

मुख्य शब्दों की सूची

मुखबिर; अपहरण; मोटरसाइकिल; माओवादी; जन अदालत; गोलीबारी; हिरासत

प्रकरण से उत्पन्न

थाना कांड सं.-25 वर्ष-2022 थाना-एन.आई.ए. जिला-पटना से उद्भूत

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री अरविंद कुमार मौर, अधिवक्ता; श्री राज कृष्ण झा, अधिवक्ता

एनआईए की ओर से: डॉ. के.एन. सिंह, सहायक विशेष न्यायाधीश; श्री अरविंद कुमार, विशेष लोक अभियोजक, एनआईए; श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, सहायक लोक अभियोजक, एएसजी; श्री परितोष परिमल, अधिवक्ता; श्री प्रमोद कुमार, लोक अभियोजक, एनआईए

शीर्षक तैयार: शारंगधर उपाध्याय

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1048

थाना कांड सं.-25 वर्ष-2022 थाना-एन.आई.ए. जिला-पटना से उद्भूत

=====

मंदीप यादव उर्फ मंजीत यादव उर्फ मटला पिता-श्री हरि यादव निवासी ग्राम-माहुलानिया
थाना-चकरबंदा, जिला-गया, बिहार

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अपने बिहार के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अरविंद कुमार मौर, अधिवक्ता
 श्री राज कृष्ण झा, अधिवक्ता
 एन. आई. ए. के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए. एस. जी.
 श्री अरविंद कुमार, विशेष लो. अभि. एन.
 आई.ए.
 श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, ए. एस. जी. के
 ए.सी.
 श्री परितोष परिमल, अधिवक्ता
 श्री प्रमोद कुमार, लो. अभि. एन. आई. ए

=====

समक्ष:-माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 12-09-2024

अपीलार्थी ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 21 (4) (इसके बाद 'एन. आई. ए. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत आर. सी. संख्या 25/2022 से उत्पन्न 2022 के विशेष एन. आई. ए. मामले संख्या 06 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने अपीलार्थी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार मौर जिनका सहयोग श्री राज कृष्ण झा और डॉ. के. एन. सिंह के द्वारा की गयी, एन. आई. ए. के लिए विद्वान ए. एस. जी. जिनका सहयोग श्री अरविंद कुमार, श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, श्री परितोष परिमल और श्री प्रमोद कुमार के द्वारा की गयी, को सुना ।

3. संक्षिप्त तथ्य, जिससे वर्तमान अपील प्रस्तुत किया जाता है, निम्नानुसार हैं:-

3.1. मुखबिर ने 02.11.2018 को 9:15 अपराह्न पर अपना *फर्दबयान* , यह आरोप लगाते हुए दिया कि, लगभग 05:30 बजे अपराह्न, मुखबिर के पति का सी. पी. आई. (माओवादी) कैडर द्वारा उसके घर से मोटरसाइकिल नं. बी.आर. 260844 का उपयोग करते हुए अपहरण कर लिया गया था।। इसके बाद, सूचना देने वाले के पति, अर्थात् नरेश सिंह भोक्ता को जन अदालत में पेश किया गया, जिसमें गाँव- साहिया, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद के उत्तर में 50-60 से अधिक माओवादी शामिल हुए। इसके बाद पता चला कि बधाई बिगाहा नहर के पास गोलीबारी हुई है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2018 का अपराध मामला संख्या 274 भा.दं.वि. की धारा 364,302,34, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और सी. एल. ए. अधिनियम की धारा 17 के तहत दर्ज किया गया था।

3.2. इसके बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) ने मामला नं. आर. सी.-25/2022 एन. आई. ए./डी. एल. आई. दिनांक 24 जून, 2022 को आई. पी. सी. की धारा 364,302,34, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16,18,20,38,39,40 (जिसे इसके बाद 'यू. ए. पी. ए. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) और सी. एल. ए. अधिनियम की धारा 17 के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में। उक्त आदेश के माध्यम से, एन. आई. ए. को थाना- मदनपुर, जिला-औरंगाबाद, बिहार की 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 274 से उत्पन्न जांच करने का निर्देश दिया गया है।

3.3. एन. आई. ए. ने जाँच की और 11 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उसके बाद विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लिया और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 9 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए।

3.4. अपीलार्थी मनदीप यादव उर्फ मंजीत यादव उर्फ मटला ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए, विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना के समक्ष लिखित रूप में वह उन सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने की सहमति दी थी जो उसकी जानकारी में अपराध और सह-अभियुक्त द्वारा अपराध करने में निभाई गई भूमिका से संबंधित थीं।

3.5. इसके बाद, ज्ञात न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत उनका इकबालिया बयान भी 06.02.2023 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अपराध करने में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश की पूरी श्रृंखला का खुलासा किया था।

3.6. इसके बाद, उत्तरदाता-एन. आई. ए. ने , पटना की विशेष न्यायाधीश के विद्वान न्यायालय, एन. आई. ए के समक्ष वर्तमान अपीलार्थी मनदीप यादव उर्फ मंजीत यादव उर्फ मटला को क्षमा करने के लिए एक याचिका 20 फरवरी, 2023 को दायर की। एन. आई. ए. द्वारा दायर उक्त याचिका के आधार पर, विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और अपीलार्थी मनदीप यादव उर्फ मंजीत यादव उर्फ मटला को अपने दिनांक 21.02.2023 के आदेश के माध्यम से माफी दे दी।

3.7. यह आगे कहा गया है कि वर्तमान मामले की सुनवाई 24.04.2024 को शुरू हुई और इसमें अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। अपीलार्थी से विचारण न्यायालय के समक्ष एक गवाह (अ.सा.-1) के रूप में पूछताछ की गई और उससे जिरह की गई। अपने बयान के दौरान, अपीलार्थी ने नरेश सिंह भोक्ता की हत्या में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश के पूरे तथ्यों और श्रृंखला का पूरा समर्थन किया और इस तरह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। इसके अलावा, मुकदमे के दौरान अ.सा.-2 फुलिया देवी (शिकायतकर्ता) और दो अन्य गवाहों से पूछताछ की गई है।

3.8. इसके बाद, अपीलार्थी ने विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना के समक्ष एक प्रार्थना के साथ जमानत याचिका दायर की कि उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है क्योंकि उसका बयान पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा चुका है और जब न्यायालय द्वारा माफी दी जा चुकी है, तो वह मामले का आरोपी नहीं रह जाता है और बल्कि अभियोजन पक्ष का गवाह बन जाता है।

3.9. विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने दिनांक 09.08.2024 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता के द्वारा दायर जमानत याचिका को अपीलार्थी संहिता की धारा 306 (4) (बी) में निहित प्रावधानों पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया। विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने कहा है कि विचारण न्यायालय पर एक सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रतिबंध है और इस शक्ति का प्रयोग अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से लैस संवैधानिक न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है।

3.10. इसलिए, अपीलार्थी ने एन. आई. ए. अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि जब संबंधित न्यायालय ने उसे क्षमा कर दी है तो अब अपीलार्थी अभियुक्त नहीं है। अपीलार्थी मामले में गवाह बन गया। इसके अलावा, उत्तरदाता-एन. आई. ए. पहले ही अपीलार्थी की अ.सा.-1 के रूप में जांच कर चुका है। अपीलार्थी से विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना के समक्ष एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई और प्रतिपरीक्षा की गई और अपीलार्थी ने नरेश सिंह भोक्ता की हत्या में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा रची गई साजिश को पूरे तथ्यों और श्रृंखला का पूरी तरह से समर्थन किया है और इस तरह उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। यह भी तर्क दिया जाता है कि विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने अपीलार्थी की जमानत की प्रार्थना को यह कहते हुए गलत तरीके से खारिज कर दिया है कि उक्त न्यायालय को संहिता की धारा 376 (4) (बी) को देखते हुए

उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि एक बार अपीलार्थी अभियुक्त नहीं रह जाता है और अभियोजन पक्ष के लिए एक गवाह के रूप में पेश हुए, तो मुकदमे के समापन तक उनकी नजरबंदी उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य मामले के निर्णय पर निर्भरता रखा और समरूप मामले, 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 80 में रिपोर्ट किए गए। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित इसी तरह का मामला 2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 563 में (संजय कुमार उर्फ संजय साह उर्फ संजय बर्नवाल बनाम भारत संघ (एन. आई. ए.) दिनांक 06.09.2017 के आदेश पर भी भरोसा किया है। उन्होंने इस खंड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 26.07.2019 निर्णय 2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 494 (असीकुल इस्लाम बनाम भारतीय संघ (एन. आई. ए.) पर भी भरोसा रखा है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने, आग्रह किया कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए और विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाता-एन. आई. ए. की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने एन. आई. ए. की ओर से दायर जवाबी-हलफनामे को संदर्भित किया है और उसके बाद प्रस्तुत किया है कि वास्तव में, अब अपीलार्थी मामले में आरोपी नहीं है और वह गवाह बन गया है। वास्तव में, संबंधित न्यायालय ने दिनांक 21.02.2023 के आदेश के माध्यम से उन्हें क्षमा कर दी है और उसके बाद अ.सा.-1 के रूप में उनकी जांच की गई। अपीलार्थी ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है और आरोपी व्यक्ति द्वारा रची गई साजिश की पूरी श्रृंखला का खुलासा किया है। इस प्रकार, उत्तरदाता-एन. आई. ए. को कोई आपत्ति नहीं है यदि अपीलार्थी जिसे अब सरकारी गवाह के रूप में बदल दिया गया है, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।

7. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गयी दलीलों पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री और उन निर्णयों का भी अध्ययन किया है जिन पर निर्भरता रखी गई है। वर्तमान मामले में, उपरोक्त तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह पता चलता है कि हालांकि शुरू में अपीलार्थी को एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन उसका बयान संबंधित दंडाधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। वास्तव में, अपीलार्थी ने विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना के समक्ष लिखित सहमति दी थी कि वह अपराध और अपराध करने में सह-अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका से संबंधित पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करेगा। एन. आई. ए. द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना के समक्ष याचिका दायर की गई थी और विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 21.02.2023 के आदेश के माध्यम से वर्तमान अपीलार्थी को माफी दे दी थी। यह विवाद में नहीं है कि उत्तरदाता अभियोजन एजेंसी ने मुकदमे के दौरान अपीलार्थी से अ.सा.-1 के रूप में पूछताछ की है। उससे जिरह की गई, और विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान के दौरान, अपीलार्थी ने कथित अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा रची गई साजिश के पूरे तथ्यों और श्रृंखला का पूरी तरह से समर्थन किया है और इस तरह अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है। वास्तव में, एन. आई. ए. के निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा द्वारा वर्तमान कार्यवाही में दायर जवाबी-हलफनामे में विशेष रूप से पैरा-16 में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष (एन. आई. ए.) को "**कोई आपत्ति नहीं**" है यदि मंदीप यादव उर्फ मंजीत यादव उर्फ मटला, पिता- हरि यादव, निवासी गाँव-मोहलानिया, पोस्ट- इमामगंज, थाना-चकरबंध, गया, बिहार, जो सरकारी गवाह बन गए हैं, को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।

8. इस स्तर पर, हम उल्लेख करना चाहेंगे **संहिता की धारा 306** में निहित प्रावधान जो निम्नानुसार प्रदान करते हैंः.

“306. सहयोगी को क्षमा का प्रस्ताव—(1) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी ऐसे अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था या उससे संबंधित नहीं था, जिसके लिए यह धारा लागू होती है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या महानगरीय दंडाधिकारी अपराध की जांच या जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में, और प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी, जो जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में अपराध की जांच या मुकदमा चलाता है, ऐसे व्यक्ति को अपराध के संबंध में अपनी जानकारी में पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्त पर और प्रत्येक अन्य संबंधित व्यक्ति को, चाहे वह प्रधान या सहायक के रूप में, आयोग में माफी दे सकता है।

(2) यह धारा पर लागू होती है-

(क) दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा या विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य कोई अपराध;

(ख) कारावास से दंडनीय कोई अपराध जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है या अधिक कठोर दंड के साथ।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (1) के तहत माफी देता है, वह दर्ज करेगा -

(क) ऐसा करने के उसके कारण;

(ख) क्या निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं जिसे वह दी गई थी,

और अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर, उसे ऐसे अभिलेख की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा।

(4) उप-धारा (1) के तहत की गई क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति -

(क) अपराध का संज्ञान लेते हुए दंडाधिकारी के न्यायालय में गवाह के रूप में जाँच की जाएगी और बाद के मुकदमे में, यदि कोई हो;

(ख) जब तक वह पहले से ही जमानत पर नहीं है, तब तक उसे मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत दी गई क्षमा की निविदा स्वीकार कर ली है और उप-धारा (1) के तहत उसकी जांच की गई है, तो अपराध का संज्ञान लेते हुए दंडाधिकारी मामले में आगे कोई जांच किए बिना-

(क) इसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करेगा -

(i) सत्र न्यायालय को यदि अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है या यदि संज्ञान लेने वाला दंडाधिकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है;

(ii) आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में, यदि अपराध विचारण योग्य है। विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा;

(ख) किसी अन्य मामले में, मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को सौंप दें जो स्वयं मामले की सुनवाई करेंगे।

9. निहित उपरोक्त प्रावधानों से संहिता की धारा 306 में, यह स्पष्ट है कि एक सहयोगी को माफी देने का प्रावधान संसद द्वारा किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी ऐसे अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था या उससे संबंधित नहीं था, जिसके लिए उक्त धारा लागू होती है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या कोई महानागरीय दंडाधिकारी अपराध की जांच या अनुसंधान या मुकदमे के किसी भी चरण में, ऐसे व्यक्ति को अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्त पर और प्रत्येक अन्य संबंधित व्यक्ति को, चाहे वह प्रधान के रूप में हो या उसके करने में सहायक के रूप में, माफी दे सकता है। इसके अलावा, धारा 306 (4) (बी) में प्रावधान है कि माफी की निविदा स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर नहीं है, मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा।

10. उपरोक्त तथ्यों से, मुख्य प्रश्न जो हमारे विचार के लिए सामने आता है और हमारे द्वारा तय किया जाना है, वह इस प्रकार है:

“ क्या संहिता की धारा 306(4)(बी) के तहत सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रतिबंध के बावजूद, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर नहीं है, जब तक कि मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता, क्या उच्च न्यायालय ऐसे सरकारी गवाह को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर सकता है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में?

11. की धारा 306(4)(बी) के सादे पठन से संहिता में, यह कहा जा सकता है कि क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाले व्यक्ति को मुकदमा समाप्त होने तक हिरासत में रखा जाना होता है, जब तक कि वह क्षमा प्रदान करने के समय जमानत पर न हो। उपरोक्त प्रावधान में उपयोग किया गया शब्द "होगा" है और इसलिए, विधायिका ने किसी व्यक्ति को क्षमा स्वीकार करने के बाद मुकदमे के दौरान जमानत देने की परिकल्पना नहीं की है। मुकदमा समाप्त होने तक सरकारी गवाह को हिरासत में रखने की आवश्यकता का अंतर्निहित उद्देश्य उसे राज्य के लिए साक्ष्य देने के लिए सहमत होने के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे अपने पूर्व साथियों को बचाने के प्रलोभन से रोकना है, जो माफी देने की शर्तों से पीछे हटकर अपने प्रभाव का दावा करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। उक्त प्रावधान लोक नीति और लोक हित के सिद्धांत पर आधारित है।

11.1. हालांकि, उन मामलों में जहां सरकारी गवाह का साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्तर पर उसे शत्रुतापूर्ण घोषित करने की मांग की है और अभियोजक ने यह तर्क भी नहीं दिया है कि संहिता की धारा 308 के तहत उनके बाद में आगे बढ़ने की संभावना होगी और लंबे समय तक उनकी नजरबंदी के बावजूद, मुकदमे के जल्द समापन की थोड़ी संभावना है,

विचार करने वाला सवाल यह है कि क्या यह उन्हें अभी भी हिरासत में रखने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगा क्योंकि उनकी रिहाई न्याय के हित में नहीं है।

11.2. इसके अलावा, उन गवाहों के लचीले वर्गीकरण के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं है जो हिरासत में हैं और जो आकस्मिक परिस्थितियों के कारण माफी देने के समय जमानत पर हैं।

12. इस स्तर पर, हम उल्लेख करना चाहेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **प्रेम चंद बनाम राज्य 1984 एस. सी. सी.डेल 311** मामले में दिया गया निर्णय ऑनलाइन रिपोर्ट किया गया । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरा-11,15,18 और 20 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“11. याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न यह हैं कि क्या धारा 306 (4)(बी) के प्रावधानों को उनकी सभी कठोरता में संवैधानिक रूप से मान्य माना जा सकता है, और आगे क्या धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। न्यायालय मुकदमे के दौरान एक सरकारी गवाह को तब रिहा कर सकता है जब वह न्याय के दायरे में हो और उसकी नजरबंदी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर हो।

15. दोनों सत्र मामलों में, याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के विभिन्न प्रावधानों की प्रणाली, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह है कि एक सरकारी गवाह उपद्रव करता है तो मुकदमे के बाद तक अभियुक्त चरित्र को प्राप्त करता है। और वह भी जब लोक अभियोजक यह प्रमाणित करता है कि उसने जानबूझकर कुछ भी आवश्यक छिपाया है या झूठा सबूत देकर उन शर्तों का पालन नहीं किया है जिन पर माफी दी गई थी। बल्कि इस स्तर पर भी वह यह दिखाने का हकदार है कि उसने वास्तव में उन शर्तों का पालन किया है जिन पर बोली लगाई गई थी। अगर वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। हालाँकि, यदि न्यायालय सरकारी गवाह के दलील देने के बावजूद अभियोजक द्वारा प्रमाणन से संतुष्ट होती है, तो उसका मुकदमा शुरू होता है और वह अभियुक्त के चरित्र को प्राप्त करता है। यह इस प्रकार है कि धारा 306 की उप-धारा (4) में पहली बार उसके

लिए इस्तेमाल किया गया शब्द "अभियुक्त" है। मुख्य अभियुक्त के मुकदमे के दौरान, उसकी स्थिति एक गवाह की बनी रहती है। क्या ऐसा व्यक्ति जो इस स्तर पर उपद्रवी है, उस पर औपचारिक रूप से किसी अपराध का आरोप लगाया जा रहा है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है? विधायिका ने इसकी अनुमति दी है, क्योंकि आपराधिक मुकदमों में पेश होने वाले गवाहों के साथ दूसरे से अलग व्यवहार किया जाता है। वास्तव में, वह अपराध से जुड़ा हुआ था, और उसके साथ सामान्य रूप से एक आरोपी के रूप में व्यवहार किया जाता, लेकिन स्वयं अपना अपराध स्वीकार करता है और जो उसे पता है और न्यायालय के सामने अपराध में शामिल पूर्ण और सच्चे तथ्यों को रखता है। इसलिए, उसे अक्सर सहयोगी गवाह नहीं कहा जाता है। इसलिए उनकी नजरबंदी को उचित माना गया है, और न्यायिक निर्णयों में जिस उद्देश्य पर ध्यान दिया गया है, वह यह है कि उन्हें अपने संघों की संवेदनशीलताओं और प्रभावों से दूर रखा जाना चाहिए, जो वह पहले से ही बोलने के लिए स्वेच्छा से बोल चुके हैं, और साथ ही उनके दबावों का विरोध करने की स्थिति में उन्हें उनके क्रोध से बचाया जाना चाहिए। हालांकि, उन मामलों में जहां उसका साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्तर पर उसे शत्रुतापूर्ण घोषित करने की मांग की है, और अभियोजक ने भी इस तर्क की झलक नहीं दिखाई है कि धारा 308, दं.प्र.सं. के तहत उसके बाद में स्थानांतरित होने की संभावना होगी। और आगे यह कि लंबे समय तक उनकी नजरबंदी के बावजूद, मुकदमे के शीघ्र समापन की संभावना बहुत कम है। पर, विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या यह उसे अभी भी हिरासत में रखने और न्याय के हित में उसकी रिहाई के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगा। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, उसकी रिहाई का विरोध अभियुक्त की ओर से हो रहा है, जबकि राज्य हमारे सामने इसका विरोध करते हुए नहीं दिखाई दिया है। हमारी राय में, अभियुक्त को ऐसे मामले में बहुत कम कहना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिशोध के संरक्षण के लिए न्याय के प्रशासन में कोई जगह नहीं है।

18. हमारी यह राय है कि हिरासत में लिए गए गवाहों के लचीले वर्गीकरण के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, और जो आकस्मिक परिस्थितियों के कारण माफी देने के समय जमानत पर होते हैं। जिस व्यक्ति को जमानत दी जाती है और फिर भी हिरासत में नहीं रखा जाता है, उसे कानून में असंगत नहीं माना जाता है। जहाँ तक रिहाई के प्रलोभन की अनुमति है, तो यह स्वाभाविक रूप से किसी भी माफी में है। जैसे कि बहुत अधिक महत्व

और कठोरता को समय कारक से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, एक गवाह, भले ही एक साथी को उससे अधिक के लिए हिरासत में लेने की आवश्यकता न हो जो उसे अपनी गवाही देने के लिए प्राप्त करने या सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए, न्याय के प्रशासन के लाभकारी उद्देश्यों के लिए उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, और एक बार उनकी सेवा पूरी हो जाने के बाद, उसकी आगे की नजरबंदी अप्रासंगिक हो जाती है। उस प्रारंभिक चरण तक इस निरोध को उचित भी माना जा सकता है ताकि ऐसे मामलों में, जहां उस अपराध में अन्य अभियुक्त की संलिप्तता संदिग्ध हो सकती है, तत्काल या जल्दी रिहा किए जाने के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सरकारी गवाह के रूप में तैयार होने की धारणा पैदा न हो। इस प्रकार निरोध के प्रावधान का अस्तित्व अवसरवादियों के लिए एक बाधा के रूप में काम कर सकता है जो पुलिस को बाध्य करने के लिए बहुत उत्सुक हो सकते हैं, और जांच एजेंसियों द्वारा इस प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को भी रोक सकते हैं जब वे कोई अन्य सबूत उपलब्ध नहीं पाते हैं या संदिग्ध रूप से निर्दोष व्यक्तियों को शामिल करने की कोशिश करते हैं।

20. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि जब यह मामला एकल न्यायाधीश के समक्ष था, तब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि धारा 306 (4) (बी) के प्रावधान अपनी सभी कठोरता में मनमाने और अनुचित होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पठित अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के आधार पर खुद को संवैधानिक चुनौती दे सकते हैं और इस पृष्ठभूमि में हम में से एक ने संदर्भ आदेश देते समय महसूस किया कि यदि यह धारा अपनी सभी कठोरता में लागू होती है, तो इसे निरस्त करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि हम पाते हैं कि कठिनाई के मामलों में, सरकारी गवाह रिहाई के लिए इस न्यायालय से संपर्क कर सकता है, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रावधान के अधिकारों के सवाल में नहीं जाना उचित है। वास्तव में, लेकिन सरकारी गवाह को रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय के पास इस शक्ति की उपलब्धता के लिए शायद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (4) (बी) के अधिकार गंभीर चुनौती के लिए खुले हो सकते हैं।

13. सुरेश चंद्र बहरी के मामले में (उपरोक्त), माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने अनु.-34 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“34. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सरकारी गवाह राम सागर को संहिता की धारा 306 की उप-धारा (4) के खंड (बी) में निहित प्रावधानों के विपरीत जमानत पर रिहा किए जाने के कारण मुकदमा दूषित हो गया था। यह इंगित किया जा सकता है कि राम सागर को विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अपने दिनांक 9-1-1985 के आदेश द्वारा माफी दिए जाने के बाद, प्रतिबद्ध दंडाधिकारी या विद्वान अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त द्वारा जमानत नहीं दी गई थी, जिनकी अदालत में मामला मुकदमे के लिए किया गया था। हालाँकि, सरकारी गवाह राम सागर को 1986 के आपराधिक विविध मामले संख्या 4735 में पटना उच्च न्यायालय, रांची पीठ द्वारा पारित एक आदेश द्वारा जमानत दे दी गई थी, जिसके अनुसरण में उन्हें 21-1-1987 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जबकि प्रतिबद्ध दंडाधिकारी द्वारा पहले ही 30-1-1986 और 31-1-1986 को एक गवाह के रूप में उनकी जाँच की जा चुकी थी और सत्र मुकदमे में उनका बयान भी 6-9-1986 से 19-11-1986 तक दर्ज किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 306 (4) निर्देश देती है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे की समाप्ति तक सरकारी गवाह को रिहा नहीं किया जाएगा और हिरासत में सरकारी गवाह की नजरबंदी मुकदमे के साथ समाप्त होनी चाहिए। मुकदमा समाप्त होने तक एक सरकारी गवाह को हिरासत में रखने की आवश्यकता का प्रमुख उद्देश्य सरकारी गवाह को अभियोजन पक्ष के समर्थन में सबूत देने के लिए आगे आने के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे उस अपराध में अपने सहयोगियों के संभावित आक्रोश, क्रोध और रोष से बचाना है जिसे उसने उजागर करने के लिए चुना है और साथ ही साथ उसे माफी दिए जाने और हिरासत से रिहा होने के बाद अपने एक समय के दोस्तों और साथियों को बचाने के प्रलोभन से रोकने के उद्देश्य से है। यह इन कारणों से है कि धारा 306 (4) का खंड (बी) अदालत को मुकदमा समाप्त होने तक सरकारी गवाह को हिरासत में रखने का कर्तव्य देता है और इस प्रकार प्रावधान सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक हित के वैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जमानत पर एक सरकारी गवाह की रिहाई अवैध हो सकती है जिसे एक उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की रिहाई से एक बार सरकारी गवाह को वैध रूप से दी गई माफी की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन परिस्थितियों में भले ही सरकारी गवाह को न्यायिक दंडाधिकारी या परीक्षण न्यायाधीश द्वारा

कोई जमानत नहीं दी गई थी, फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा उसकी रिहाई किसी भी तरह से सरकारी गवाह राम सागर को दी गई माफी की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।”

13.1. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सरकारी गवाह को न्यायिक दंडाधिकारी या परीक्षण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कोई जमानत नहीं दी गई थी, फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा उसकी रिहाई किसी भी तरह से सरकारी गवाह को दी गई माफी की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

14. इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 06.09.2017 को पारित आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 563 (संजय कुमार उर्फ संजय साह उर्फ संजय बर्नवाल बनाम भारतीय संघ (एन. आई. ए.) का निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया है:.

“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे के दौरान, अपीलार्थी से पहले ही अ.सा.- 1 के रूप में पूछताछ की जा चुकी है और जैसा कि उतरदाताओं/राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का खुलासा करते हुए अभियोजन मामले का समर्थन किया है, अपीलार्थी को केवल तकनीकी आधार पर हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत उद्देश्य सरकारी गवाह के साक्ष्य को सच्चाई से दर्ज करना है। चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी की पहले ही जांच की जा चुकी है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, इसलिए पूरी निष्पक्षता से, जमानत के लिए अनुरोध को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।”

15. इस न्यायालय की खंड पीठ ने आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 2019 का 494 दिनांक 26.07.2019 को पारित (असिकुल इस्लाम बनाम भारतीय संघ (एन. आई. ए.) निर्णय में, विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को दर्ज किया और उसके बाद संबंधित अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया। इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

“अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त लगभग सभी निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 एक

प्रक्रिया का वर्णन करती है और उपरोक्त धारा एक सरकारी गवाह को जमानत देने में अदालत के हाथों को मजबूत नहीं करती है।

4. एन. आई. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि यदि अपीलार्थी को इस अदालत द्वारा जमानत दी जाती है तो एन. आई. ए. को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने जांच के साथ-साथ मुकदमे में भी जांच एजेंसी की मदद की है। एन. आई. ए. ने भी अपने जवाबी हलफनामे में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख किया है।

5. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पक्षों के प्रस्तुत करने पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को 10 हजार रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए। आर. सी. 15/2015 से उत्पन्न विशेष मामला सं. 02/2018 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार), इस शर्त के अधीन कि जमानतदारों में से एक अपीलार्थी का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए जो इस आशय का शपथ पत्र लेगा कि वह अपीलार्थी के साथ कैसे संबंधित है।”

16. उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के साथ-साथ इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय, यदि ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों की एक बार फिर जांच की जाती है, तो यह कहा जा सकता है कि हालांकि सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा करने पर रोक है, यदि वह पहले से ही हिरासत में है, तो मुकदमे के समापन तक, उच्च न्यायालय ऐसे सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा कर सकता है। हालांकि, इस स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जहां ऐसे अनुमोदक को संबंधित न्यायालय ने माफी दे दी है और उक्त अभियुक्त से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई है, जिसके दौरान उसने पूरी तरह से अभियोजन के मामले का समर्थन किया, तो ऐसे मामलों में, ऐसे सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

17. इसलिए, उपरोक्त प्रश्न का हमारा उत्तर निम्नानुसार है:-

“ यद्यपि संहिता की धारा 306 (4) (बी) के तहत सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा करने पर रोक है, यदि वह पहले से ही हिरासत में है, तो मुकदमा समाप्त होने तक, उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सकता है। तथापि, ऐसी शक्तियों का प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां ऐसे गवाह, जिसे संबंधित न्यायालय ने क्षमा प्रदान की है और उक्त अभियुक्त से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई है, जिसके दौरान उसने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है, और ऐसे मामले में अनुमोदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।”

18. वर्तमान मामले में भी, काउंटर से -

उत्तरदाता-एन. आई. ए. द्वारा दाखिल हलफनामे में यह स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी से अभियोजन एजेंसी द्वारा अ.सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई है और अपीलार्थी ने नरेश सिंह भोक्ता की हत्या में आरोपी व्यक्ति द्वारा रची गई साजिश के पूरे तथ्यों और श्रृंखला का पूरा समर्थन किया है और अभियोजन मामले का भी समर्थन किया है। इसके अलावा, उत्तरदाता-एन. आई. ए. ने विशेष रूप से प्रति-शपथपत्र के कंडीका-16 में कहा है कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

19. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। उपरोक्त नामित अपीलार्थी को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत अनुबंध निष्पादित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। 15, 000/- (पंद्रह हजार रुपये) और आर. सी. सं.25/2022 से उत्पन्न विशेष

एन. आई. ए. मामला सं. 06/2022 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर।

20. अपीलार्थी को इस न्यायालय में अपील के निपटारे तक सहयोग करना चाहिए। अपील के निपटारे तक जुर्माने की वसूली को स्थगित रखा जाता है।

21. तदनुसार, अपील की अनुमति है।

(विपुल एम.पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।